FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान – हरबंस कौर बनाम तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

धारा – 136 एलआरएक्ट   मुकदमा नं0– 30 ...../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनीशिल्हा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
20.2.2018	आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक 3731 दिनांक 22–09–2017 द्वारा बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 21.02.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21.2.2018	प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ से पत्र क्रमाक 3731 दिनांक 22–09–2017 द्वारा बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट पेश कर निवेदन किया कि चक 40 एनजीसी के खाता संख्या–40/40 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 अजमेर सिहं पुत्र रूप सिहं 0.046 हैक्टेयर दर्ज है जिसके स्थान पर सही नाम अजमेर कौर पत्नि रूप सिहं दर्ज किया जावे। आवेदन के साथ दस्तावेज मृत्यु प्रमाण–पत्र रूप सिहं व वारिसानामा रूप सिहं प्रस्तुत किया गया। आवेदन–पत्र की जांच हेतु तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा जाच रिपोर्ट दिनांक 22–09–2017 चक 40 एनजीसी रूप सिहं की पत्नि अजमेर कौर का नाम खाता में जरिये इन्तकाल संख्या–101 अजमेर सिहं दर्ज हो गया जबकि मुताबिक वारिस प्रमाण–पत्र अजमेर कौर दर्ज किया जाना था जो कि सही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा भेजी गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र दिनांक 24–07–2017 से यह पाया जाता है कि सहवन अजमेर कौर का नाम अजमेर सिहं कुर्सीनामा में अंकित होने से इन्तकाल व आगे के राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हुई है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ के आदेश दिये जाते है कि चक 40 एनजीसी के खाता संख्या–40/40 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में "अजमेर सिहं पुत्र रूप सिहं 0.046 हैक्टेयर" के स्थान पर "अजमेर कौर पत्नि रूप सिहं 0.046 है0" दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

Scanned by CamScanner